यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** के माह 11/2017 से माह 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 03.11.2018 से 16.11.2018 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दया शंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.11.2017 से 23.11.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2016 से माह 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग आदि वर्गो के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	44.06	42.80	1.26	2786.51	2786.44	0.07
2016-17	Nil	Nil	45.12	39.66	5.46	2091.83	2091.82	0.01
2017-18	Nil	Nil	53.50	53.31	0.19	2397.25	2397.24	0.01
2018-19 (10/2018)	Nil	Nil	58.72	36.75	21.97	2203.24	1139.90	1063.34

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016–17			2017–18			2018–19, 10/18 तक		
	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0	222.12	222.12	0	262.14	262.14	0	97.92	92.71
राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	0	2.7	2.7	0	2.01	2.01	0	0.98	0.98
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	0	15.00	15.00	0	12.00	12.00	0	10.20	10.20
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृति	0	48.61	48.61	0	49.09	49.09	0	30.18	14.32
अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृति	0	0	0	0	1.98	1.98	0	3.2	0
पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृति	0	0	0	0	3.48	3.48	0	1.62	0
अनु जाति कक्षा 9 से 10 तक	0	0	0	0	0	0	0	1.73	0

(iii) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण जिला⟶ समाज कल्याण अधिकारी

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **वृद्धावस्था पेंशन,** विधवा पुत्री की शादी योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का **विश्लेषण** किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर : 1 वृद्धावस्था पेंशन योजना में अपात्र लाभार्थियों को धनराशि रु0 21.16 लाख का अदेय भुगतान किया जाना।

वृद्धावस्था पेंशन विस्तार एवं प्रक्रिया सरलीकरण के लिए जारी उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1547/36–चार 1990 दिनांक 30 मार्च 1990 के बिन्दु 2 के अनुसार ऐसे मामले जहॉ पति/पत्नी दोनों पेंशन के लिए पात्र है वहॉ नये प्रकरणों में पति–पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य की जाएगी और ऐसे मामलों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 17 जून 2016 के द्वारा भी उक्त प्रावधान की पुष्टि की गयी।

शासनादेश दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत में तथा शहरी क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकार उपजिलाधिकारी में निहित होगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वृद्धाओं के अपने भरण पोषण हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एवं शहरी क्षेत्र के लिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी/तहसीलदार को देना होगा जिसमें आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर आदि की जॉच के उपरान्त पेंशन स्वीकृत की जाती है। योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन अनुदान का भुगतान जनवरी 2014 से पूर्व रु0 400 प्रतिमाह की दर से, जनवरी 2014 से रु0 800 प्रतिमाह की दर तथा जून 2016 से रु0 1000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2014 में जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देश के बिन्दु 5.2.2 के अनुसार चूँकि केन्द्रीय योजना का लाभ पाने के लिए बी0 पी0 एल0 परिवार का होना प्रथम शर्त है इसलिए इस पेंशन डाटा को राज्य बी0 पी0 एल0 डाटाबेस से जोडा जाना चाहिए ताकि दोहरे भुगतान से बचा जा सके।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित उपलब्ध करायी गयी विकास खण्ड वार लाभार्थियों की सूची एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि शासनादेश के उपरोक्त प्रावधान कि पति–पत्नी में से केवल एक को ही पेंशन स्वीकृत की जाएगी, का उलंघन कर 56 दम्पतियों अर्थात पति पत्नी दोंनों को पेंशन स्वीकृत किया गया था जबकि शासनादेश के प्रावधानानुसार पति पत्नी में से केवल एक को ही पेंशन स्वीकृत किया जा सकता है तथा कार्यालय द्वारा वर्तमान तक उनको लगातार पेंशन का भुगतान प्रदान किया जा रहा है। जॉच में यह भी पाया गया कि पेंशन लाभार्थी डाटा को दोहरे भुगतान अथवा अपात्र भुगतान से बचने के लिए राज्य बी0पी0एल0 डाटा से सम्बद्ध भी नहीं किया गया है। इस प्रकार से कार्यालय द्वारा 56 दम्पतियों अर्थात पति पत्नी दोंनों को अपैल 2011 से जुलाई 2018 के मध्य पेंशन स्वीकृत किया गया था तथा उनको लगातार पेंशन के रुप में उनकी स्वीकृति के माह से माह सितम्बर 2018 तक की अवधि से वर्तमान तक रु0 21.16 लाख की धनराशि का अदेय भुगतान प्रदान किया गया था **(सूची संलग्न)**। आगे जॉच में यह भी पाया गया कि पेंशन लाभार्थी डाटा को दोहरे भुगतान से बचने

के लिए राज्य बी0पी0एल0 सूची से सम्बद्ध नहीं किया गया था। इतने अधिक संख्या में अपात्र लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत किये जाने तथा उनको अदेय भुगतान किये जाने से यह प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में इकाई द्वारा योजना के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जाता है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि दोनों आवेदकों द्वारा अलग अलग समय में आवेदन करने के कारण प्रकरण संज्ञान में नहीं आया तथा त्रुटिवश इनको पेंशन स्वीकृत हो गयी है। अतः सन्दर्भित सभी प्रकरणों की विकास खण्ड स्तरीय कार्मिकों से पुनः जॉच कराकर अपात्र पाये जाने पर एक की पेंशन बन्द कर दी जाएगी तथा अदेय भुगतान की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः वृद्धावस्था पेंशन योजना में अपात्र लाभार्थियों को धनराशि रु0 21.16 लाख का अदेय भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तरः1 – शासनादेश के अनुसार समयान्र्तगत गौरा देवी कन्याधन योजना के पात्र 60 लाभार्थियों को रू 30 लाख का भुगतान न किया जाना।

शासनादेश सख्यॉ 749/XVII-4/2016-01(135)2013- टी.सी –1 (05/16) मई 2016 के गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) में एवं ₹ 21206/(शहरी क्षेत्र **में)** से अधिक न हो। योजना के अन्तर्गत चयनित प्रति छात्रा को रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। **शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक सम्बन्धित कार्यालय द्वारा एफ डी आर बनाये जाने हेतु छात्राओं के खातें में ऑनलाईन धनराशि स्थान्तरित कर दी जायेगी।**

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग के **अनुसूचित** जाति गौरा देवी कन्याधन योजना के वर्ष 2017–18 के लेखाभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में लाभार्थियों को योजना के लाभ हेतु 222 लाभार्थियों का चयनित किया गया था। जिसमें वर्ष 2017–18 तक कुल 162 को लाभाथिर्यो को योजना से लाभान्वित करते हुए रू 81 लाख की धनराशि का **एफ**डी के रूप में वितरण की गयी। अवशेष 60 पात्र लाभार्थियों को रू 50000/–की दर से सम्प्रेक्षा अवधि (11/2018) तक रू 30 लाख भुगतान किया जाना शेष है। **जबकि शासनादेशानुसार योजना का लाभ इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक दिया जाना चाहिए था।** जबकि चयनित लाभार्थियों के परीक्षाफल घोषित होने के (जून 2017) अथार्त 16 माह के पश्चात सम्प्रेक्षा अवधि (10/2018) तक के पश्चात लाभार्थी योजना के लाभ पाने से वंचित रहे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि अवशेष 60 बालिकाओं हेतु मॉग निदेशालय समाज कल्याण से की गयी है। धनराशि प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है **क्योंकि** योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं में 21206/– शहरी क्षेत्र से अधिक न हो को **दिये जाने** का प्रावधान है। शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक सम्बन्धित कार्यालय द्वारा एफ डी आर बनाये जाने हेतु छात्राओं के

खातें में ऑनलाईन धनराशि स्थान्तरित करना सुनिश्चित किया जाना **चाहिए** था। **जिनका** अनुपालन नही किया गया है। ऐसा न करने से लाभार्थि योजना **का** लाभ पाने सें वचित रहे।

अतः शाासनादेश के अनुसार **निर्धारित समयान्तर्गत** गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत पात्र 60 लाभार्थियों को रू 30 लाख का भुगतान न **किये जाने** का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर : 2 अनुसूचित जाति वर्ग की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजनान्तर्गत बिना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किये धनराशि रु0 50.00 लाख का अनियमित भुगतान किया जाना।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी शासनादेश दिनांक 23 मई 2016 के प्रावधानों के अनुसार योजना हेतु प्रत्येक वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी तक की शादी तिथियों से सम्बन्धित आवेदन स्वीकृत जाएगें तथा भुगतान की कार्यवाही माह मार्च तक पूर्ण की जाएगी। योजना के अन्य शर्तो के साथ आवेदक द्वारा माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक शादी का प्रमाण पत्र (शादी का पंजीकरण कार्यालय द्वारा प्रदत्त विवाह प्रमाण पत्र) सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक शादी का प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा नहीं करवाता तो आवेदक को उक्त अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा इस दशा में आवेदक का आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक को अनुदान के रुप में रु0 50000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है जिसका भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग के अनुसूचित जाति वर्ग के शादी अनुदान के वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष के दौरान निदेशक, समाज कल्याण द्वारा रु0 57.00 लाख की धनराशि का आवंटन प्रदान किया गया था जिससे 114 आवेदकों को अनुदान का भुगतान कर लाभान्वित किया गया था। आगे अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा शासनादेश के उपरोक्त प्रावधानों का पालन न करते हुए अनुदान का भुगतान से पूर्व आवेदक से विवाह का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया गया था जबकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि आवेदक विवाह का प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा नहीं करता तो उसे उक्त अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। वर्ष के दौरान कुल भुगतानित 114 लाभार्थियों में से केवल 14 लाभार्थी *(12 प्रतिशत)* से ही भुगतान से पूर्व विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। इस प्रकार से कार्यालय द्वारा शेष 100 लाभार्थियों को रु0 50.00 लाख की धनराशि का विवाह प्रमाण पत्र न प्राप्त किये जाने के कारण अनियमित भुगतान प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि शेष लाभार्थियों से विवाह प्रमाण पत्र शीघ्र ही प्राप्त कर लिए जाएगें तथा भविष्य में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के प्रावधानुसार विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुदान का भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः अनुसूचित जाति वर्ग की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजनान्तर्गत बिना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किये धनराशि रु0 50.00 लाख के अनियमित भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- बिना सत्यापन के दशमोत्तर छात्रवृति के अंतर्गत ₹ 1.45 लाख का अनुचित भुगतान

उत्तराखंड शासन द्वारा दशमोत्तर छात्रवृति के क्रियान्वयन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रवृति के वितरण में पारदर्शिता लाये जाने हेतु तथा फर्जी रूप से छात्र छात्राओं के प्रवेश की रोकथाम हेतु छात्र छात्राओं के शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन जिला अधिकारी द्वारा नामित समाज कल्याण विभाग से इतर अधिकारियों के द्वारा कराया जाएगा, भौतिक सत्यापन करते समय जांच अधिकारी सूची में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाणपत्र, संबन्धित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओं की जांच करेगा। जांच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब के लिए संबन्धित जांच अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

जनपद के दशमोत्तर छात्रवृति संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जनपद के श्री यूएबीकेपीपी विद्यालय के छात्रों के छात्रवृति संबंधी अभिलेखों की जांच का कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण परियोजना अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था किन्तु उक्त अधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा में विद्यालय के निम्न तीन विद्यार्थियों के नाम नहीं थे, किन्तु उन्हे कार्यालय द्वारा कुल ₹ 1.45 लाख की छात्रवृति दी गई थी

नाम	**पिता का नाम**	**संस्थान का नाम**	**कोर्स का नाम**	**राशि**	**वितरण का माह**	**बैंक का नाम**
धीरज कुमार	यशपाल	श्री यूएबीकेपीपी विद्यालय विद्यापीठ	Diploma in Pharma D Pharma	50300	03/18	एसबीआई
शिवम	रघुवीर लाल	श्री यूएबीकेपीपी विद्यालय विद्यापीठ	Diploma in Pharma D Pharma	47300	03/18	एसबीआई
अरुणा तमता	बेंदिलाल	श्री यूएबीकेपीपी विद्यालय विद्यापीठ	Diploma in Pharma D Pharma	47300	03/18	पीएनबी
कुल				144900		

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि इन प्रकरणो के संबंध में सहायक समाज कल्याण अधिकारी से जांच कारवाई जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार समाज कल्याण विभाग के इतर अधिकारियों द्वारा छात्रवृति आवेदन संबंधी अभिलेखों की जांच की जानी थी किन्तु कार्यालय द्वारा बिना जांच के ही ₹ 1.45 लाख की छात्रवृति का भुगतान किया गया । प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
49	2008-09	1,2,3,4,5,6	0	0
130	2014-15	0	1	1
02	2016-17	0	1,2,3,4,5	0
131	2017-18	0	1,2,3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत लेखापरीक्षा पर आधारित लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया कि वर्तमान में आख्या तैयार नहीं की गयी है तथा आश्वासन दिया गया कि सन्दर्भित आपत्तियों की वर्तमान स्थिति को लेते हुए शीघ्र ही अनुपालन आख्या तैयार कर उचित माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री **बी एस रावत**	जिला समाज कल्याण अधिकारी	दिनांक 05.08.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाये।**

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.